दिनांक 23.09.2016 को अपराह्न 4:30 बजे संयुक्त सचिव–सह–अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति

1. श्री संजय कुमार सिंह	– संयुक्त सचिव	– अध्यक्ष
2. श्री अशोक कुमार सिंह	– विशेष कार्य पदा0,	– सदस्य
3. श्री सुनील कुमार वर्मा	– उप निदेशक, नियोजन	– सदस्य
4. श्री विवेक कुमार	– उप निदेशक, प्रशिक्षण	– सदस्य
5. श्री अरुण कुमार. 1	– अवर सचिव, श्रम पक्ष	
6. श्री सतीश कुमार शाही	– अवर सचिव, प्रशिक्षण पक्ष	
7. श्री दीनबंधु शर्मा	– उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें	
8. श्री सर्वजीत प्रसाद वर्मा	– प्रशाखा पदाधिकारी–03 (सरकार पक्ष)	
9. मो0 मुस्तफा मंसूरी	– प्रशाखा पदाधिकारी–01 (सरकार पक्ष)	
10. श्री देवेश कुमार	– श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी	

कार्यवाही

समिति के समक्ष रक्षित मामलों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों/ प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप में दी गयी :–

सरकार पक्ष (प्रशाखा–1)

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. डा0 एस0एस0 मुजफ्फरउद्दीन बलखी , यूनानी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी 2. डा0 उषा पाण्डेय, आयुष बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	**सेवानिवृत्ति की तिथि, सेवा सम्पुष्टि, ए0 सी0 पी0 लाभ की स्वीकृति तथा सेवा शर्त नियमावली के गठन के संबंध में–** प्रशाखा पदाधिकारी–1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आयुष बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष हो गयी है। सेवा सम्पुष्ट हो गया है एवं ए0 सी0 पी0/ एम0ए0सी0पी0 का लाभ अधिसूचना सं0–302 दिनांक 11.02.15 द्वारा दिया जा चुका है। बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की नयी नियमावली बनाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। संबंधित संचिका वित्त विभाग से वापस आने के पश्चात क0रा0 बीमा योजना को भेजी गयी है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उक्त नियमावली से संबंधित संचिका के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी कर्मचारी राज्य बीमा योजना पक्ष से प्राप्त नहीं हो रही है। चूँकि नियमावली के गठन में विलम्ब होने के कारण यह मामला निष्पादित नहीं हो पा रहा है। अतः इस मामले को कर्मचारी राज्य बीमा योजना पक्ष के लंबित मामलों की सूची में रखा जाए और वहाँ से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।
3. डा0 सी0 के0 पी0 सिंह, संयुक्त सचिव, बीमा चिकित्सा पदा0, सेवा संघ	**डायनेमिक ए0 सी0 पी0 संबंधित नई सेवा नियमावली एवं संवर्गीय आवश्यकता आधारित रिक्त पदों पर नियमित प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में–** प्रशाखा –1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया एवं बताया गया कि प्राप्त निदेश के आलोक में बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों की नयी नियमावली बनाने की कार्रवाई की जा रही है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हो चुकी है। प्राधिकृत समिति के अनुमोदन हेतु संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को पृष्ठांकित है। प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग को स्मारित कर संचिका प्राप्त की जाय एवं मामले का निष्पादन कराया जाय।

4. श्रीमती प्रीतालाल पति–स्व0 डा0 ईश्वर लाल भूतपूर्व बीमा चिकित्सा पदा0 क0 रा0 बीमा योजना	**मृत्युपरान्त मिलने वाली पावनाओं के संबंध मे–** प्रशाखा पदा0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदन पर कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लंबित है। प्रधान सचिव श्रम संसाधान विभाग के स्तर से स्वास्थ्य विभाग को स्मारित किया गया है। समीक्षा के क्रम में समिति द्वारा पाया गया कि यह मामला मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।प्रशाखा पदा0–1 को निदेश दिया गया कि स्वास्थ्य विभाग से सूचना प्राप्त कर समिति को अवगत कराया जाए।
5. श्री कृष्णदेव सिंह सेवानिवृत्त प्रभारी, उप निदेशक, नियोजन, दरभंगा प्रमंण्डल, दरभंगा	**दिनांक 01.04.1994 के प्रभाव से उप निदेशक, नियोजन के पद पर नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में–** प्रशाखा पदा0–1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिंह के आवेदन के आलोक में प्रोन्नति विचारणीय है एवं इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। प्रशाखा पदा0–1 को निदेश दिया गया कि नियमानुसार आवेदक के प्रोन्नति से संबंधित मामले का निष्पादन कराया जाए।
6. श्री श्याम प्रसाद सिन्हा सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0)	**वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग द्वारा निर्धारित वेतनादि का लाभ नही मिलने के संबंध में–** प्रशाखा पदा0–1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिन्हा के आवेदन पर परामर्श हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को पृष्ठांकित संचिका वापस आ गई है एवं उपस्थापित की गयी संचिका कतिपय पृच्छा के साथ प्राप्त हुई है। पुनः संचिका उपस्थापित है। प्रशाखा पदा0–1 को निदेश दिया गया कि मामले के निष्पादन में काफी बिलंब हो गया है। अतः मामले का तत्परतापूर्वक निष्पादन कराया जाए।
7. सचिव, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संगठन, पटना। 8. अतुल रंजन एवं अन्य प्राचार्य/उप प्राचार्य संवर्ग	**बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के प्राचार्य संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि के संबंध में–** प्रशाखा पदा0–1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण सेवा सम्पुष्टि नहीं हो पा रही है। राजपत्रित पदाधिकारियों की आगामी विभागीय परीक्षा में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के पदाधिकारियों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में राजस्व पर्षद द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। प्रशाखा पदा0 को निदेश दिया गया कि प्राचार्य/उप प्राचार्य संवर्ग की सेवा सम्पुष्टि के संबंध में अतुल रंजन एवं अन्य का भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसे विभागीय पत्रांक–1605 दिनांक 26.05.2016 द्वारा प्रशाखा–1 में भेजा गया है। अतः मामले का तत्परतापूर्वक निष्पादन कराया जाए।
9. श्री सूर्यमोहन सिन्हा उच्च वर्गीय लिपिक, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना	**विभाग द्वारा सहायक निदेशक, नियोजन के पद पर प्रोन्नति हेतु किए गए डी0पी0सी0 पर रोक लगाने के संबंध में–** प्रशाखा पदाधिकारी–01 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सहायक निदेशक, नियोजन के पद पर प्रोन्नति हेतु किये गये डी0पी0सी0 पर रोक लगाने से सम्बन्धित श्री सूर्य मोहन सिन्हा, उच्च वर्गीय लिपिक, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना के अभ्यावेदन के संबंध में सूचित करना है कि उनके द्वारा श्री संजय कुमार सिन्हा से अपने को वरीय मानते हुए श्री संजय कुमार सिन्हा की नियोजन पदाधिकारी के पद पर दी गयी प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति की मॉग की गयी थी। एतदर्थ पूर्व में उनके द्वारा एक याचिका दायर की गयी थी। इससे सम्बन्धित अवमाननवाद खारिज हो जाने के बाद उनके द्वारा पुनः एक याचिका दायर की गयी है। उसी क्रम में उनका अनुरोध था कि तत्काल श्री संजय कुमार सिन्हा को अगली प्रोन्नति नहीं दी जाय। इनके अभ्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है

	कि दो बार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विचारित किये जाने के कारण इसे re-open करना उचित नहीं है। समीक्षा के कम में पाया गया कि प्रशाखा पदाधिकारी–01 से प्राप्त प्रतिवेदन अस्पष्ट है। आवेदक ने श्री संजय कुमार सिन्हा के सहायक निदेशक (नियोजन) के पद पर प्रोन्नति हेतु डी0पी0सी0 पर रोक लगाने के सम्बन्ध में अपना आवेदन दिया है, जबकि प्रशाखा–01 से प्राप्त प्रतिवेदन में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। प्रशाखा पदाधिकारी–01 को निदेश दिया गया कि आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन में उठाये गये बिन्दुओं यथा– श्री संजय कुमार सिन्हा के सहायक निदेशक, नियोजन के पद पर प्रोन्नति के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन दिया जाय।

श्रम पक्ष

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्री अजय कुमार लिपिक, सहायक श्रमायुक्त (कृ0श्र0) कार्यालय, पटना	**उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं द्वितीय ए0सी0पी0 के बकाये राशि का भुगतान करने के संबंध में–** श्रम पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उप श्रमायुक्त, पटना का पत्रांक–1712 दिनांक–21.09.2016 द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार श्री अजय कुमार, लिपिक को द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप उन्हें बकाया राशि कुल 53,292/– रूपया का भुगतान कर दिया गया है। उनके द्वारा दिनांक– 24.03.2014 तक कुल 46 दिनों का चिकित्सा हेतु लिये गये उपार्जित अवकाश भी पूर्ण औसत वेतन पर स्वीकृत कर दिया गया है। अवर सचिव, श्रम पक्ष को निदेश दिया गया कि आवेदक के उपार्जित अवकाश के बकाये राशि का भी शीघ्र भुगतान कराकर समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
2. श्री राधा बिहारी प्रसाद सेवानिवृत्त श्रम प्रवर्त्तन पदा0	**वेतन विमुक्ति, वेतन वृद्धि तथा ए0सी0पी0 का लाभ देने के संबंध में।** श्रम पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री राधा बिहारी प्रसाद के आवेदन में उल्लेखित मामलों यथा (1) माह जनवरी 1998 से दिसम्बर 1998 एवं जनवरी 1999 से नवम्बर 2000 तक की अवधि के लंबित वेतन का भुगतान तथा इन अवधियों में वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में श्रम अधीक्षक, नालन्दा से प्राप्त पत्र का उल्लेख करते हुए श्रम अधीक्षक, भोजपुर, आरा से पत्रांक 3694 दिनांक 30.08.2016, स्मारित पत्रांक 4011 दिनांक 21.09.2016 द्वारा भुगतान के संबंध में प्रतिवेदन मॉगा गया है। (2) देय ए0 सी0 पी0/एम0 ए0 सी0 पी0 भुगतान की स्वीकृति के संदर्भ में कहना है कि निर्णय हेतु प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.09.2016 को निर्धारित की गयी है।

	समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्रम पक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन एवं श्रम पक्ष के पत्रांक 3694 दिनांक 30.08.2016 से आवेदक के सेवा विनियमन के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अवर सचिव, श्रम पक्ष को निदेश दिया गया कि आवेदक के आवेदन में उल्लेखित सेवा अवधियों के विनियमन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए आवेदक के लंबित वेतन भुगतान एवं वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति/भुगतान के संबंध में श्रम अधीक्षक, भोजपुर, आरा, से शीघ्र जानकारी प्राप्त कर समिति को प्रतिवेदन दिया जाय। साथ ही ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के सन्दर्भ में प्रोन्नति समिति की बैठक के फलाफल से भी समिति को अवगत कराया जाय।
3. श्री सुशील कुमार सिन्हा, श्रम प्रर्वत्तन पदाधिकारी, सेवानिवृत्त श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी	**5) दिनांक 31.07.2015 को सेवानिवृत्ति के मद्देनजर सेवापुस्त का अद्यत्तन/तृतीय एम0ए0सी0पी0 लाभ की स्वीकृति/त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण में संशोधन/लंबित वेतन वृद्धि की स्वीकृति हेतु–** श्रम पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिन्हा को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का लाभ देने के संबंध में स्क्रीनिंग समिति की बैठक में निर्णय लिया जाना है। बैठक की तिथि दिनांक– 26.9.2016 को निर्धारित की गयी है। अवर सचिव, श्रम पक्ष को निदेश दिया गया कि शीघ्र स्क्रीनिंग कमिटि की बैठक के फलाफल से समिति को अवगत कराया जाए तथा आवेदन में उठाए गए अन्य बिन्दुओं यथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण में संशोधन, लंबित वेतन वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।
4. श्री सुशील कुमार सिन्हा, श्रम प्रर्वत्तन पदाधिकारी, सेवानिवृत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	**6) दिनांक 31.07.2015 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवान्त लाभों का ससमय भुगतान करने के संबंध में–** श्रम पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिन्हा के निलंबन अवधि दिनांक 23.02.2015 से 31.07.2015 को आदेश ज्ञापांक–2601 दिनांक 10.06.2016 द्वारा विनियमित कर दिया गया है तथा आदेश ज्ञापांक–1121 दिनांक 29.03.2016 द्वारा 300 दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य नगद राशि का भुगतान हो गया है। श्री सिन्हा के छठे वेतन के बकाए का भुगतान हो चुका है। विगत बैठक में ही अवर सचिव, श्रम पक्ष को निदेश दिया गया था कि आवेदक के देय सभी सेवान्त लाभों के भुगतान के संबंध में क्रमवार प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाए। बैठक में श्रम पक्ष से संबंधित पटल के प्रशाखा पदाधिकारी ने उपस्थित होकर बताया कि आवेदक के अन्य सेवान्त लाभों के भुगतान के संबंध में उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर जानकारी दे सकते हैं। अतएव अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर आवेदक के देय सभी सेवान्त लाभों के भुगतान के संबंध में क्रमवार प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाय।

5. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, श्रम प्रवर्त्तन पदा0 संघ 6. श्रीमती हीरा देवी, पति–स्व0 फूलन सिंह, सेवानिवृत्त, श्रम प्रर्वतन पदा0 ग्राम+पोस्ट–दिघवलिया, जिला–सिवान 7. श्री लाल बाबू, सेवानिवृत्त, श्रम प्रर्वतन पदा0 8. श्री अजय कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त, श्रम प्रर्वतन पदा0 9. श्री जय गोविन्द राम, सेवानिवृत्त, श्रम प्रर्वतन पदा0	**<u>सरकारी सेवकों को कनीय/वरीय कोटि का लाभ प्रदान करने के एवं श्रम प्रवर्त्तन पदा0 संवर्ग के सेवाशर्त्त नियमावली के गठन के संबंध में–</u>** श्रम पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कनीय/वरीय कोटि का लाभ प्रदान करने के संबंध में संचिका वित विभाग से परामर्श की अपेक्षा के संदर्भ में उच्च स्तर पर उपस्थापित है। नियमावली के संबंध में श्रम पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रम प्रवर्त्तन पदा0 संघ द्वारा समर्पित नियमावली के विवेचना/निर्णय हेतु गठित समिति द्वारा इस नियमावली को यह कहते हुए अपनी असहमति जतायी गयी है कि जब पूर्व में बनी हुई नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव चल रहा है तो इस नियमावली को बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। बैठक में उपस्थित संबंधित पटल के प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया कि पुरानी नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव है एवं इस संबंध में विधि विभाग को प्रेषित संचिका अभी विभाग को प्राप्त हुई है। अवर सचिव श्रम पक्ष एवं प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कनीय/प्रवर कोटि के संबंध में मंतव्य हेतु संचिका शीध्र वित विभाग को भेजी जाए। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग के नियमावली के संदर्भ में शीध्र निर्णय लेकर नियमावली तैयार कराया जाए।
10. श्री जगदीश प्रसाद सेवानिवृत्त, श्रम प्रर्वतन पदा0 जिला–सिवान	**<u>तृतीय रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन ग्रेड पे 4800/– में संशोधन कर स्वीकृत करने के संबंध में।</u>** श्रम पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा दिनांक 31.03.2016 को शिकायत निवारण समिति को पुनः समर्पित आवेदन में उल्लेखित मॉग को अस्वीकृत कर दिया गया है। इस संदर्भ में आवेदक को पत्रांक 3812 दिनांक 06.09.2016 द्वारा संसूचित कर दिया गया है। श्रम पक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन एवं पत्रांक 3812 दिनांक 06.09.2016 के आलोक में इस मामले को निष्पादित मानते हुए सूची से विलोपित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।
11. श्री प्रवीण कुमार निम्नवर्गीय लिपिक श्रमायुक्त का कार्यालय	**<u>उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर नियमित प्रोन्नति के संबंध मे।</u>** श्रम पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रमायुक्त के नियंत्रणाधीन निम्नवर्गीय लिपिक से उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर नियमित प्रोन्नति की कार्रवाई की जा रही थी, इसी बीच विभागीय पत्रांक 2240 दिनांक 28.07.2016 द्वारा निम्न वर्गीय लिपिकों का औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया। चूँकि सभी निम्न वर्गीय लिपिकों का औपबंधिक वरीयता सूची का निर्धारण विभाग से किया गया है, अतएव उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति की कार्रवाई भी विभाग स्तर पर ही किया जाना अपेक्षित है। अतएव पत्रांक 4030 दिनांक 21.09.2016 द्वारा उक्त प्रोन्नति के संबंध में कृत कार्रवाई की सूचना

	की मॉग उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग से की गयी है। अवर सचिव, श्रम पक्ष को निदेश दिया गया कि आवेदक के प्रोन्नति के संबंध में सरकार पक्ष से प्राप्त सूचना से समिति को अवगत कराया जाए एवं शीध्र मामले का निष्पादन कराया जाय।
12. श्री बसंत कुमार चौधरी, सेवा निवृत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, घोधरडीहा, जिला– मधुबनी।	**<u>सेवा निवृत्ति के तीन वर्ष पश्चात् भी पुनरीक्षित वेतनमान का बकाया एरियर एवं द्वितीय ए0सी0पी0 का एरियर नहीं मिलने के सम्बन्ध में।</u>** श्रम पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के बकाया एरियर एवं अन्य मामला के संबंध में दूरभाष पर भुगतान की सूचना प्राप्त। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्रम पक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन न केवल अपूर्ण है बल्कि अस्पष्ट भी है। अवर सचिव, श्रम पक्ष को निदेश दिया गया कि आवेदक के अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में भुगतान की स्थिति पर समिति को स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्धि कराया जाय।

प्रशिक्षण पक्ष

प्रशिक्षण पक्ष में लंबित मामलों की अनुपालन स्थिति निम्न है–

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्री संजीत कुमार वर्मा निम्नवर्गीय लिपिक, औ0 प्र0 सं0 दीघा 2. श्री प्रवीण कुमार निम्नवर्गीय लिपिक, औ0प्र0सं0, फारबीसगंज 3. श्री छोटे कुमार निम्नवर्गीय लिपिक, औ0 प्र0 सं0, आरा 4. श्री प्रमोद कुमार सिंह निम्नवर्गीय लिपिक, औ0 प्र0 सं0, हथुआ 5. श्री राजेश कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण	**उच्च वर्गीय लिपिक के पद पद प्रोन्नति के संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्न वर्गीय लिपिक से उच्च वर्गीय लिपिक में नियमित प्रोन्नति पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया है। प्रोन्नति सम्बन्धी अगली बैठक हेतु तिथि निर्धारण की कार्रवाई प्रकियाधीन है। उप निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि शीघ्र प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित करबाई जाए।
6. श्री दिलीप कुमार फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, औ0 प्र0 संस्थान, भागलपुर 7. मो0 नौशाद पलम्बर अनुदेशक, औ0 प्र0 संस्थान, गया	**अनुदेशक के पद से मुख्य अनुदेशक के पद पर लंबित प्रोन्नति देते हुए न्याय दिलाने के संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनुदेशक से मुख्य अनुदेशक के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 09.09.2016 को आहूत प्रोन्नति समिति की बैठक में प्रोन्नति के संबंध में अनुशंसा की गयी है। आदेश निर्गत किये जाने की कार्रवाई प्रकियाधीन है। उप निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि शीघ्र प्रोन्नति संबंधी आदेश निर्गत करा कर आदेश की प्रति सहित समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
8. श्री प्रेम चन्द्र कुमार सिन्हा, महासचिव, बिहार राज्य औ0 प्र0 संस्थान कर्मचारी संघ	**चतुर्थ वर्गीय कर्मियो को निम्न वर्गीय लिपिक में प्रोन्नति के संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को निम्न वर्गीय लिपिक में प्रोन्नति देने हेतु दिनांक 09.09.2016 को प्रोन्नति समिति की बैठक की गयी, परन्तु इनके अर्हता संबंधी बिन्दुओं पर सामान्य प्रशाखा विभाग से स्थिति स्पष्ट की जा रही है। तत्पश्चात् प्रोन्नति संबंधी आदेश निर्गत किया जायगा । उप निदेशक प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि नियमानुसार प्रोन्नति संबंधी आदेश निर्गत कर समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
9. श्री चन्द्रदेव राम लेखा निरीक्षक निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण	**रिक्ति की तिथि से लेखा निरीक्षक के पद पर एवं उसके बाद आवश्यक कालावधि के पश्चात् सहायक लेखा पदा0 के पद पर प्रोन्नति के संबंध में–**

	प्रशिक्षण पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लेखा निरीक्षक से सहायक लेखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 09.09.2016 को आहुत प्रोन्नति समिति की बैठक में प्रोन्नति के संबंध में अनुशंसा की गयी है । आदेश निर्गत किये जाने की कार्रवाई प्रकियाधीन है। उप निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि शीध्र प्रोन्नति संबंधी आदेश निर्गत कराकर आदेश की प्रति सहित समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।
10. श्री प्रेमचन्द्र कुमार सिन्हा महासचिव, बिहार राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्मचारी संघ, दीघा, पटना–1	**उच्च वर्गीय लिपिक के पद पद प्रोन्नति के संबंध में--** प्रशिक्षण पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्न वर्गीय लिपिक से उच्च वर्गीय लिपिक में नियमित प्रोन्नति पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया है। प्रोन्नति सम्बन्धी अगली बैठक हेतु तिथि निर्धारण की कार्रवाई प्रकियाधीन है। उप निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि शीध्र प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित करबाई जाए।

नियोजन पक्ष

नियोजन पक्ष में लंबित मामलों की स्थिति निम्नवत् है–

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्री इंद्रकांत चौधरी, उच्च वर्गीय प्रवर कोटि लिपिक, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दरभंगा 2. श्री दिगम्बर नाथ झा सेवानिवृत उच्च वर्गीय लिपिक, अ0 प्रा0 नि0, पटना	**नियोजन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के संबंध में–** नियोजन पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मामला बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–74 एवं वित्त विभाग के ज्ञापांक 2074 दिनांक 04.04.1985 के अनुसार वित्तीय मामले में समान्यतः भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देय नहीं है। सरकार पक्ष में मामला प्रक्रियाधीन है। नियोजन पक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि यह प्रतिवेदन पूर्व के प्रतिवेदन की पुनरावृत्ति है। विगत बैठक में उप निदेशक नियोजन को निदेश दिया गया था कि इन दोनों मामलों के संबंध में तथ्यों को प्रशाखा पदाधिकारी -- 1 को उपलब्ध कराया जाय, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हुआ है। पुनः उप निदेशक, नियोजन को निदेश दिया गया कि वे इन मामलों के संबंध में तथ्यों को शीध्र प्रशाखा पदाधिकारी–1 को उपलब्ध करायें।
3. श्री सूर्यमोहन सिन्हा, उच्च वर्गीय लिपिक, अवर प्रादेशिक, नियोजनालय, पटना	**नियोजन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के संबंध में।** नियोजन पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा नियेाजन पदा0 के पद पर प्रोन्नति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी–...../2015 सूर्यमोहन सिन्हा बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया है। वर्त्तमान में यह मामला मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। उप निदेशक, नियेाजन को निदेश दिया गया कि वाद में विभाग की ओर से दायर प्रतिशपथ पत्र में नियोजन पक्ष द्वारा लिए गए निर्णय से समिति को अवगत कराया जाए।